

**बंधक संपत्ति को अवैध तरीके से विक्रय करने के संबंध में डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स
इंटरनेशनल प्रा0लि0 के संचालकगणों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इंदौर में
अपराध पंजीबद्ध**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 266/2025 के सत्यापन पर डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0 के संचालकगण (1) संतोष कुमार सिंह पिता शिवप्रसाद सिंह (2) संजीव पिता अशोक जायसवाल (3) अनिरुद्ध पिता मधुकर देव एवं अन्य के विरुद्ध बंधक संपत्ति को गलत तरीके से विक्रय कर स्वयं को सदोष लाभ एवं म0प्र0 शासन को सआषय सदोष हानि प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

आरोपी :- डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0 के संचालकगण

- (1) संतोष कुमार सिंह पिता शिवप्रसाद सिंह, डायरेक्टर, डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0, 301, मेगापेलिस टॉवर, 579, एम.जी. रोड, इंदौर
- (2) संजीव पिता अशोक जायसवाल, डायरेक्टर, डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0, 301, मेगापेलिस टॉवर, 579, एम.जी. रोड, इंदौर
- (3) अनिरुद्ध पिता मधुकर देव, डायरेक्टर, डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0, 301, मेगापेलिस टॉवर, 579, एम.जी. रोड, इंदौर एवं अन्य

अपराध :- आरोपी कंपनी डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0 के संचालकगणों को यह भली भांति ज्ञात था कि आईकॉनस लैण्डमार्क-01 एवं आईकॉनस लैण्डमार्क-02 के कुल 249 भूखण्ड विकास के बदले कॉलोनी सेल इंदौर / शासन में बंधक रखे गये हैं एवं वर्तमान में भूखंडों का स्वामित्व कॉलोनी सेल/ शासन का है व कंपनी द्वारा बंधक भूखंड को विमुक्त नहीं कराया गया है।

फिर भी इनके द्वारा शासन के स्वामित्व/आधिपत्य में बंधक रखे भूखंडों को बिना अपर कलेक्टर, कॉलोनी सेल से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये आरोपीगणों द्वारा जानबूझकर 15 बंधक भूखण्डों को अन्य पक्षकारों को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया।

डी.एच.एल. इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा0लि0 के संचालकगण (1) संतोष कुमार सिंह पिता शिवप्रसाद सिंह (2) संजीव पिता अशोक जायसवाल (3) अनिरुद्ध पिता मधुकर देव एवं अन्य के विरुद्ध आपराध धारा- 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.द.वि. का प्रमाणित पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया जिसमें त्वरित कार्यवाही की जावेगी।